प्रेस विज्ञप्ति

23.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने 15/09/2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 7.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई/एसी-I, नई दिल्ली द्वारा 24/08/2017 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित 13(1)(ई) के तहत सत्येंद्र कुमार जैन, श्रीमती पूनम जैन (सत्येंद्र कुमार जैन की पत्नी) और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जाँच शुरू की थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र कुमार जैन ने दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में पदस्थ रहते हुए 14/02/2015 से 31/05/2017 की अवधि के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। सीबीआई ने 03/12/2018 को सत्येंद्र कुमार जैन, श्रीमती पूनम जैन और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

जाँच के परिणामस्वरूप, ईडी ने पहले 31/03/2022 को सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया और 27/07/2022 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की। माननीय न्यायालय ने 29/07/2022 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया।

ईडी की जांच के दौरान, यह पता चला कि नवंबर 2016 में, विमुद्रीकरण के तुरंत बाद, सत्येंद्र कुमार जैन के करीबी सहयोगी और बेनामी अंकुश जैन और वैभव जैन ने आय प्रकटीकरण योजना (आईडीएस), 2016 के तहत अग्रिम कर के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपये नकद जमा किए। आईडीएस के तहत, उन्होंने मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खातों में 2011-2016 के बीच प्राप्त 16.53 करोड़ रुपये की आय/परिसंपत्तियों के लाभकारी स्वामित्व का दावा किया, जबकि इन संस्थाओं का लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण सत्येंद्र कुमार जैन के पास था। आयकर विभाग और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंकुश जैन और वैभव जैन को सत्येंद्र कुमार जैन के लिए बेनामी धारक माना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी एसएलपी और समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया, तथा निष्कर्ष को अंतिम घोषित कर दिया।

यह जानकारी ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत सीबीआई के साथ साझा की गई थी। साझा की गई जानकारी के आधार पर, सीबीआई ने मामले की आगे जांच की और दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान सत्येंद्र कुमार जैन से संबंधित आय से अधिक संपत्ति का विवरण जोड़ते हुए बाद में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई के पूरक आरोपपत्र के बाद, ईडी ने अब 7.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क कर लिया है। इस प्रकार, इस मामले में अब तक ईडी द्वारा कुर्क की गई कुल अपराध की आय 12.25 करोड़ रुपये (4.81 करोड़ रुपये + 7.44 करोड़ रुपये) है, जो सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति का 100% है, जो उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों में अचल संपत्तियों के रूप में है। इस मामले में शीघ्र ही पीएमएलए, 2002 के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की जाएगी। इस मामले की सुनवाई माननीय राउज़ एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली में चल रही है।